54

संख्या– /XXVIII-4-2015-87/2013

प्रेषक,

अतर सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 30मार्च, 2015

विषय– जनपद–पौड़ी गढ़वाल के जिला चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन स्थापित शव–विच्छेदन गृह के पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–7प/1/श.वि.गृ./300/1032, दिनांक 23.02.2015 के क्रम में शासनादेश संख्या–516/XXVIII-4-2015-87/2013, दिनांक 30.03.2015 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद–पौड़ी गढ़वाल के जिला चिकित्सालय परिसर में शव–विच्छदेन गृह के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन की आंकलित धनराशि रू0 32.43 लाख के सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 32.35 लाख (रू0 32.14 लाख सिविल कर्यों हेतु तथा रू0 0.21 लाख अधिप्राप्ति के कार्यों हेतु) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त के सापेक्ष पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–808/XXVIII-5-2007-145/2007, दिनांक 29.11.2007 के द्वारा रू0 11.71 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुये चालू वित्तीय वर्ष में अवशेष देय धनराशि रू0 20.00 लाख की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते है :–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
3. कार्य कराते समय लो0नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टयों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा। कार्य हेतु कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध भी अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जायेगा।
4. धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात निर्माण इकाई को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्त हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों में जो दरे शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

7. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
8. कार्य करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात् आवश्कतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये। कार्य की प्रगति की निरंतर एवं गहन समीक्षा करते हुये कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुये भवन विभाग को हस्तगत् कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
10. उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्कता न पड़े। स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
11. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
12. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 तथा किसी भी व्यय हेतु अधिप्राप्ति नियमावली वित्तीय संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम आय–व्ययक सम्बन्धी नियम तथा अन्य सुसंगत नियम, (बजट मैनुअल) तथा शासनादेश संख्या–267/XXVIII(1)/2008 दिनांक 27.03.2008 आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
13. उक्त व्यय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत, 01–शहरी स्वास्थ्य सेवा 110–अस्पताल तथा औषधालय, 03–शव विच्छदेन गृहो का निर्माण 24–वृहत निर्माण कार्य नामें डाला जोयगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–454(P)/XXVII(3)/2014-15, दिन 27.03.2015 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्न : अलॉटमेंट आई–डी।

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 517 (1)XXVIII-4-2015-87/2013, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी, जनपद–पौड़ी गढ़वाल।
3. निदेशक, कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. कोषाधिकारी, जनपद– पौड़ी गढ़वाल।

5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद– पौड़ी गढ़वाल।
7. परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी गढ़वाल।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/चिकित्सा अनुभाग–5/एन0आई0सी0।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।